न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/69

ज्याना बाई पुत्री मथुरी जोजे कजोड जी जाति मीणा निवासी ग्राम विजयपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. चन्द्रभान
2. मुरारी लाल
3. महावीर पिसरान नन्दकिशोर जाति मीणा निवासीगण ग्राम विजयपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
4. पप्पू आत्मज स्व0 केदार जी जाति मीणा निवासी ग्राम विजयपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
5. सीमा पुत्री स्व0 केदार जी जाति मीणा निवासी ग्राम विजयपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
6. कान्ति पुत्री स्व0 केदार जी जाति मीणा निवासी ग्राम विजयपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
7. प्रसादी बेवा स्व0 केदार जी जाति मीणा निवासी ग्राम विजयपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 15/70

ज्याना बाई पुत्री मथुरी जोजे कजोड जी जाति मीणा निवासी ग्राम विजयपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. चन्द्रभान
2. मुरारी लाल
3. महावीर पिसरान नन्दकिशोर जाति मीणा निवासीगण ग्राम विजयपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
4. पप्पू आत्मज स्व0 केदार जी जाति मीणा निवासी ग्राम विजयपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
5. सीमा पुत्री स्व0 केदार जी जाति मीणा निवासी ग्राम विजयपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
6. कान्ति पुत्री स्व0 केदार जी जाति मीणा निवासी ग्राम विजयपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
7. प्रसादी बेवा स्व0 केदार जी जाति मीणा निवासी ग्राम विजयपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांकः 22.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.07.2014 एवं अंतिम डिक्री 25.11.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से तथा समान पक्षकार होने तथा एक अपील प्राथिमक डिक्री की होने एवं दूसरी अपील अंतिम डिक्री की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावलियों में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ढिढोरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खतौनी संख्या 24 पर खसरा नम्बर 23 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 113 रकबा 0.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 135 रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 149 रकबा 3.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.63 हैक्टर, खसरा नम्बर 347 रकबा 1.11 हैक्टर कुल 07 किता रकबा 9.11 हैक्टर भूमि स्थित में जिसमें वादीगण कम 1 से 3 का 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी कम 4 से 7 का हिस्सा 1/8 तथा प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/2 निहित है । इसी प्रकार ग्राम ढिढोरा में खतौनी संख्या 25 पर दर्ज खसरा नम्बर 103 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नम्बर 107 रकबा 1.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 292 रकबा 0.46 हैक्टर कुल 03 किता रकबा कुल 2.23 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादी कम 1 से 3 का हिस्सा 3/8 व वादी कम 4 से 7 का हिस्सा 1/8 तथा प्रतिवादी कम 1 का 1/2 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । उक्त भूमि पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिससे पक्षकारान को ऋण लेने में परेशानी होती है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने हिस्से की आराजी का विधिवत विभाजन करवाए ।

4. अतः वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य उनके राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह संयुक्त खाते की आराजी को अमुक दिशाओं के अमुक भाग को विक्रय रहन, दान, वसीयत द्वारा किसी दीगर व्यक्ति को बिना बंटवारा करवाये हस्तान्तरित नहीं करे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.07.2014 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य प्राथमिक डिक्री के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 25.11.2014 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी कम 1 अपीलान्ट को सूचना दिये बिना, सुनवाई का अवसर दिये बिना, उस पर सम्मन की व्यक्तिगत रूप से तामील हुए बिना ही उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के नाम प्रेषित किये गये सम्मन पर चस्पानगी से तामील होने की गलत रिपोर्ट तामील कुनिन्दा द्वारा की गई है । सम्मन की चस्पानगी से तामील प्रोपर तामील नहीं है । तामील कुनिन्दा द्वारा अपीलान्ट को व्यक्तिगत रूप से सम्मन की तामील करवाना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री दोनों निरस्त फरमाई जावे ।

7. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया । प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 31.07.2015 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है । उक्त दस्तावेज प्रमाणित प्रति है जिसकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाता है ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने हक घोषणा का दावा पेश किया था जिसमें अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए डिक्री जारी की गई है । अपीलान्ट को न तो सम्मन प्राप्त हुए हैं और न ही अपीलान्ट ने सम्मन लेने से माना किया है । अपीलान्ट के मकान पर भी कोई सम्मन चस्पा नहीं किया गया है । तामील कुनिन्दा द्वारा चस्पानगी पर गलत रिपोर्ट की गई है। अपीलान्ट अशिक्षित महिला है जो अंगूठा लगाती है, गवाह का पूरा पता तामील कुनिन्दा द्वारा नहीं लिखा गया है । आराजी जगन्नाथ मीणा के खाते में दर्ज थी उनकी विधवा मथुरी और 02 पुत्रियॉ रामनाथी बाई एवं ज्यानाबाई प्रतिवादी अपीलान्ट थी । वादग्रस्त आराजी के खातेदार जगन्नाथ जी के स्वर्गवास के उपरान्त उक्त भूमि तत्कालीन कानून के अनुसार विधवा पत्नी एवं एक मात्र उत्तराधिकारी होने से श्रीमती मथुरी बाई के खाते में दर्ज की गई थी । अपीलान्ट की माता श्रीमती मथुरी बाई की सेवा सुश्रुषा प्रतिवादी अपीलान्ट एवं उसके पति ने की थी । खातेदार मथुरीबाई ने प्रतिवादी अपीलान्ट के पक्ष में पंजीकृत दानपत्र गवाहान की उपस्थिति में निष्पादित कर उक्त आराजी का कब्जा प्रतिवादी अपीलान्ट को संभला दिया था तब से ही प्रतिवादी अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है । रामनाथी बाई एवं वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है । रामनाथी बाई ने अपीलान्ट के खिलाफ एक दावा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश किया था जो दिनांक 30.05.1985 को खारिज किया गया था उसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में की गई

जिसे दिनांक 10.04.1991 को स्वीकार किया गया और दावा डिक्री किया गया और वादग्रस्त आराजी में ज्यानाबाई का 1/2 हिस्सा, रामनाथी बाई को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया था । इसकी द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की गई जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है इसके बावजूद वादिनी ने गैर कानूनी रूप से अमल दरामद करवा लिया । यह अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 25.01.1999 को खारिज की गई जिसके खिलाफ रिव्यू पेश किया गया । रिव्यू प्रार्थना पत्र में स्थगन आदेश जारी किया गया है और दिनांक 17.08. 2001 को रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 25.08.1999 निरस्त किया गया । द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है । द्वितीय अपील के दौराने रामनाथी बाई की मृत्यु को चुकी है और उनके वारिसान रिकॉर्ड पर है इस समस्त तथ्यों को छुपाकर नया दवा हक, घोषणा एवं विभाजन का पेश किया है । पुरानी हिन्दू विधि के प्रावधानर लागू होंगे । कानून के अनुसार मीणा जाति में पिता से प्राप्त भूमि पुत्र व विधवा पत्नी की अनुपस्थिति में पुत्रियों को प्राप्त होती है । एक पुत्री की मृत्यु होने पर सम्पत्ति उसके वारिसान को प्राप्त नहीं होकर जिस व्यक्ति से भूमि प्राप्त हुई थी उसके वारिसान को प्राप्त होती है । इस कारण से रामनाथी बाई की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान को प्राप्त नहीं होकर उसकी सगी बहिन प्रतिवादी अपीलान्ट को कानून के अन्तर्गत प्राप्त होती है इस कानूनी स्थिति पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गये हैं अपीलान्ट को विभाजन रिपोर्ट तैयार करते समय उसे सूचना नहीं दी गई । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 31. 07.2015 से अपीलान्ट द्वारा पेश अपील स्वीकार की गई है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04. 07.2014 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.11.2014 निरस्त फरमाई जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आरएलडब्ल्यू 1980 पेज 110, आरआरडी 1975 पेज 287 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अपीलान्ट ने प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य रूप से आपत्ति की है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से तामील नहीं करवाई है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न सम्मन का अवलोकन किया । सम्मन की दो प्रति पत्रावली में संलग्न है।एक सम्मन जिसमें तारीख पेशी दिनांक 03.11.2011 अंकित है के पृष्ठ भाग पर खुले मकान पर चस्पा किया गया था अंकित है दो गवाहों के हस्ताक्षर हैं परन्तु गवाहों के नाम पते, पिता और मूल पता अंकित नहीं है और दूसरे सम्मन में तारीख पेशी दिनांक 07.12.2011 अंकित है जिसके पृष्ठ भाग में दो गवाहों के हस्ताक्षर अंकित हैं परन्तु पूरे पते और पिता का नाम अंकित नहीं है । तामील कुनिन्दा के द्वारा जो लिखा गया है वह पढनीय नहीं है और प्रतिवादी अपीलान्ट के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट पर विधि सम्मत रूप से तामील नहीं करवाई गई है । साथ ही पक्षकारों के मध्य पूर्व में लम्बित प्रकरण व माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 31.07.2015 के परिप्रेक्ष्य में भी इस प्रकरण में अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक समझते हैं ।

11. जहॉ तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है । अंतिम डिक्री के क्रम में पत्रावली का अवलोकन किया इसमें भी अपीलान्ट को अपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । बंटवारा रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है जबकि राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार को मौके पर उपस्थित रहकर बंटवारा रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए ।

अपीलान्ट को मौके पर नहीं बुलाया गया है । पक्षकारों के हिस्से को नजरी नक्शे में पृथक–पृथक स्याही से नहीं दर्शाया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री दोनों ही त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य हैं । अपीलान्ट द्वारा उद्धरत नजीर आरआरडी 1975 पेज 287 यहॉ चस्पा होती है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 15/69 एवं 15/70 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.07.2014 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.11.2014 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । प्राथमिक डिक्री के उपरान्त राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 03.12.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/10/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा